

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग

परिशिष्ट- (1)

प्रति,

निःशुल्क

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक,
सामाजिक न्याय, जिला भिण्ड (म.प्र.)
द्वारा

निःशक्त दंपति का
संयुक्त फोटो

2. आयुक्त
नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी.....
जिला भिण्ड (म.प्र.)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत.....
जिला भिण्ड (म.प्र.)

विषय :- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र।

भाग- अ

आवेदक के उपयोग हेतु

आवेदक का परिवार समग्र कोड क्रमांक

आवेदक का समग्र कोड क्रमांक

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक

आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक (यदि हो तो)

1. आवेदक का नाम

2. आवेदक के पिता/अभिभावक का नाम

3. आवेदक की माता का नाम

4. निवास का पता

5. आवेदक की जन्मतिथि - दिनांक माह वर्ष

6. आवेदक के विवाह के समय आयु
7. जाति/वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य)
8. आवेदक की वार्षिक आय
- (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)
9. विवाह का स्थान विवाह का दिनांक.....
10. विवाह किस रीति से संपन्न हुआ (प्रमाण पत्र/शपथ पत्र)
11. निःशक्त की श्रेणी.....अस्थिबाधित/दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित/मंदबुद्धि एवं निःशक्त का प्रतिशत (चिकित्सक का प्रमाण पत्र) संलग्न करें।
12. आवेदक का बचत खाता

आवेदक खाताधारक का नाम	बैंक का नाम व पता	बचत खाता क्रमांक	IFSC कोड

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

आवेदिका के उपयोग हेतु

भाग- ब

आवेदिका का परिवार समग्र कोड क्रमांक

आवेदिका का समग्र कोड क्रमांक

आवेदिका का आधार कार्ड क्रमांक

आवेदिका का बीपीएल कार्ड क्रमांक (यदि हो तो)

1. आवेदिका का नाम
2. आवेदिका के पिता/अभिभावक का नाम
3. आवेदिका की माता का नाम
4. निवास का पता
5. आवेदक की जन्मतिथि - दिनांक माह वर्ष

6. आवेदिका के विवाह के समय आयु
7. जाति/वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य)
8. आवेदिका की वार्षिक आय
- (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)
9. विवाह का स्थान विवाह का दिनांक
10. विवाह किस रीति से संपन्न हुआ.....(प्रमाण पत्र/शपथ पत्र)
11. निःशक्त की श्रेणी.....अस्थिबाधित/दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित/मंदबुद्धि एवं निःशक्त का प्रतिशत (चिकित्सक का प्रमाण पत्र) संलग्न करें।

12. आवेदक का बचत खाता

आवेदक खाताधारक का नाम	बैंक का नाम व पता	बचत खाता क्रमांक	IFSC कोड

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

नोट:-

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें।

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
2. चिकित्सक द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र की छायाप्रति
3. आयकरदाता न होने की समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र
4. आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
5. निःशक्त दंपति का संयुक्त दो पासपोर्ट साइज फोटो
6. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति
7. परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश की छायाप्रति

अभिकथन (रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम सत्य निष्ठा से यह वचन देते हैं कि

1. यह कि मैं/हम निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 की धारा- 2 में वर्णित निःशक्तता की श्रेणी और 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता रखते हैं जिसके लिये सक्षम चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
2. यह कि हमने धार्मिक रीति/सामाजिक रीति/न्यायालय के समक्ष दिनांक.....को विवाह किया है।
3. यह कि हम दम्पति आयकरदाता नहीं हैं।
4. यह कि हम दम्पति का अन्य कोई विवाहित पति/पत्नी नहीं है और न ही हमने पूर्व में इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन सहायता राशि प्राप्त की है।
5. यह कि हमारे ऊपर किसी तरह का अपराधिका/महिला उत्पीड़न का बाद नहीं चल रहा है।
6. यह कि हम यह भी कथन करते हैं कि निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यदि हम दम्पति 5 साल की अवधि के पूर्व विवाह विच्छेद होता है या विवाह सम्बन्ध टूटता है। तो शासन द्वारा स्वीकृत की गई राशि निराश्रित निधि के खाते में जमा करेंगे। यदि यह राशि हम जमा नहीं करते हैं तो शासन भू-राजस्व के तहत राशि वसूल कर सकता है।
7. यह कि हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सही है।

स्थान:

दिनांक :

पति के हस्ताक्षर.....

पत्नी के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पूर्ण पता

नाम एवं पूर्ण पता